राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3036/2024

जय कुमार सेन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक), बारां।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.10.2024

आदेश की दिनांक : 19.11.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 10.09.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को बहाल करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में शारीरिक प्रशिक्षक के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खजूरिया खंड, छिपाबडौद, जिला बारां में कार्यरत हाल ही निलंबित है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.09.2024 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत निलंबित किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में शारीरिक प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत है और उसे गलत तरीके से निलंबित किया गया है। अपीलार्थी ने बहाल किये जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया और अपीलार्थी के विरूद्ध बिना कोई जांच प्रारंभ किये निलंबित किया गया है, उसे किसी प्रकार का कोई न तो कोई मौका दिया गया और न ही उसके विरूद्ध कोई आरोप लगाये गये हैं, फिर भी उसे निलंबित कर दिया गया। नियम 13 के अंतर्गत किसी भी कार्मिक को 2 शर्त पर ही निलंबित किया जा सकता है। तो कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित हो या लंबित हो। परंतु अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। अपीलार्थी को नियम 13(2) के अंतर्गत निलंबित किया गया है जबकि नियम 13(2) में यह उल्लेख है कि यदि कार्मिक या तो पुलिस हिरासत में हो, अपराधिक आरोप उसके विरूद्ध हों तो उसे निलंबित किया जायेगा और उसको निलंबित सक्षम अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा और इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध न तो कोई अपराधिक आरोप लगाये गये हैं और न ही उसे पुलिस हिरासत में रखा गया है। आलोच्य आदेश भी असक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 10.09.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को बहाल करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई है और प्राप्त शिकायत के आधार पर ही अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। निलंबन आदेश नियुक्त अधिकारी के स्तर पर जारी किया जा सकता है और जिला

शिक्षा अधिकारी, बारां अपीलार्थी कार्मिक के नियुक्ति अधिकारी हैं। अपीलार्थी के संबंध में जांच कार्यवाही विचाराधीन है और जांच कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत ही अपीलार्थी के बहाली के संबंध में आवश्यक विचार किया जा सकता है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अपीलार्थी को केवल मात्र शिकायत के आधार पर आदेश दिनांक 10.09.2024 के द्वारा निलंबित किया गया है और जबकि शिकायत अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 11.09.2024 एवं 12.09.2024 प्राप्त हुई है तथा शिकायत जिला स्तरीय शिक्षक संघ, बारां द्वारा जारी की गई है, जो वर्तमान में न तो पंजीकृत संस्था है और न ही अस्तित्व में है और इस प्रकार बिना किसी ठोस कारण के अपीलार्थी को निलंबित रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन शारीरिक प्रशिक्षक के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खजूरिया खंड, छिपाबडौद, जिला बारां में कार्यरत हाल ही निलंबित है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.09.2024 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत निलंबित किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को नियम 13(2) के अंतर्गत निलंबित किये जाने का प्रश्न है, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(2) में निम्नलिखित आधार पर निलंबित किये जाने का प्रावधान है :–

> *"(2) A Government Servant who is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours shall be deemed to have been suspended with effect fom the date of detention, by an order of the Authority competent to place a Government Servant under suspension under sub-rule (1) and shall remain under suspension until further orders."*

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को उसके विरूद्ध प्राप्त शिकायत के आधार पर निलंबित किया गया है। नियम 13(2) में किसी कार्मिक को तभी निलंबित किया जा सकता है जबकि कार्मिक के विरूद्ध अपराधिक आरोप अथवा पुलिस हिरासत में होने पर और कम से कम 48 घण्टे हिरासत में रहा हो। परंतु वर्तमान मामले में अपीलार्थी न तो पुलिस हिरासत में रहा और न ही उसके विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है। इस प्रकार अपीलार्थी को उक्त नियम 13(2) के अंतर्गत निलंबित किया जाना नियमानुसार प्रकट नहीं होता है। अतः यह निलंबन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत है।

जहां तक अपीलार्थी को शिकायत पत्र के आधार पर निलंबित किये जाने का प्रश्न है, शिकायत पत्र अनुलग्नक आर–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिकायत पत्रों में अपीलार्थी का नाम अंकित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह माना जावे कि विभाग ने शिकायत पर कोई जांच कराई है। जिसमें अपीलार्थी प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। अतः मात्र उक्त शिकायत पत्र के आधार पर अपीलार्थी को निलंबित किया जाना नियमानुसार प्रकट नहीं होता है, जिसमें उसका नाम अंकित नहीं है। इस प्रकार हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किया गया निलंबन आलोच्य आदेश दिनांक 10.09.2024 नियम एवं विधि के विपरीत है। अतः निलंबन अपास्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 10.09.2024 को अपास्त किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य